भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2230

01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

सशस्त्र बल मुख्यालय के सिविलियन पेंशनभोगियों की शिकायतें

2230. श्री जय प्रकाश:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सशस्त्र बल मुख्यालय के सिविलियन पेंशनभोगियों से उनकी ऐसी पेंशन के संराशिकृत मूल्य की बहाली की तारीखों मे सुधार की मांग करते हुए, शिकायतों, अभ्यावेदनों, ईमेल आदि की सूची प्राप्त हुई है जिसे उनकी सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष पूरे होने के तीन माह बाद देय दर्शाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी शिकायतों को कम करने के लिए की-गई-कार्रवाई का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ऐसी अशुद्धियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, पीसीडीए स्तर पर एक सुदृढ़ तंत्र शुरु करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) और (ख): स्पर्श पोर्टल पर संराशिकृत मूल्य की अंतिम तिथि को अद्यतन किए जाने के संबंध में पेंशनभोगियों द्वारा किए गए अनुरोधों पर उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अथवा विभाग के पास उपलब्ध संबद्ध दस्तावेज़ों के आधार पर त्वरित कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ): पीसीडीए(पी) प्रयागराज ने स्पर्श पोर्टल पर पेंशनभोगियों के डेटा को अद्यतन करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है। सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविलियन पेंशनभोगियों के संबंध में, पीसीडीए पेंशन कार्यालय ने संराशिकृत मूल्य की अंतिम तिथि को अद्यतित किया है और लगभग 240 मामलों में की गई अधिक वसूली को वापस भी कर दिया है।

******